2011:CGHC:7915

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6648/2010

याचिकाकर्ता : विनय कुमार पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति : याचिकाकर्ता की ओर से : श्री वी. के. पांडे, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री एन. एन. रॉय, पैनल अधिवक्ता

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 03 मार्च, 2011 को पारित)

1. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा यह मांग किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 को निर्देशित किया जाए कि वे कला विषय में शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें तथा चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करें।

2011:CGHC:7915

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.10.2009 को प्रकाशित विज्ञापन (अनुलग्नक पी-1) के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने जनपद पंचायत लुंड्रा में शिक्षाकर्मी ग्रेड-III (कला विषय) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत कला विषय में कुल 39 रिक्त पद अधिसूचित किए गए थे, जिनमें से 10 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 2 पद अनुसूचित जाति के लिए, 21 पद अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 6 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे। याचिकाकर्ता ने अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लिया तथा उसे कुल 112.12 अंक प्राप्त हुए, जिसके आधार पर उसे मेरिट सूची में सरल क्रमांक 4 पर स्थान दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को दिनांक 08.04.2010 को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात, यह कहते हुए याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करने से इंकार कर दिया गया कि कला विषय में शिक्षाकर्मी ग्रेड-III का कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने तर्क प्रस्तुत किया कि एक बार याचिकाकर्ता का विधिवत चयन हो जाने के पश्चात् उसे नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में यह कहना कि संबंधित पद रिक्त नहीं था, विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण एवं असंगत है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि रिक्त पदों की उपलब्धता के संबंध में स्वयं

उत्तरवादीगण के कथनों में विरोधाभास है। यह भी तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया का परिणाम जनवरी, 2011 में घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (7) के खंड (जी) के उप-खंड (xi) के अनुसार, चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 13 माह निर्धारित थी।

2011:CGHC:7915

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों— *स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश एवं अन्य बनाम संजय कुमार पाठक एवं अन्य*[1], *राखी रे एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य*[2] तथा *डायरेक्टर, एस.सी.टी.आई. फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं अन्य बनाम एम. पुष्करन*[3] —का संदर्भ प्रस्तुत किया। उक्त निर्णयों में यह विधि-सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राज्य बिना किसी युक्तिसंगत एवं ठोस कारण के चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने से इंकार नहीं कर सकता।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि एक बार जब किसी पद को नियुक्ति हेतु रिक्त एवं उपलब्ध घोषित कर दिया जाता है, तो पश्चातवर्ती चरण में उसे अनुपलब्ध या अस्तित्वहीन घोषित किया जाना विधि की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यही प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में *राजेश्वरी राठौड़ एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य तथा अन्य*[4] संबंधित प्रकरणों में विचाराधीन रहा है। उक्त परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका में न्यायनिर्णयन हेतु कोई नवीन अथवा स्वतंत्र मुद्दा शेष नहीं रह जाता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *संजय कुमार पाठक (पूर्विक)* प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया है :

> **"18. ... यह सत्य है कि केवल इस आधार पर कि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित है, उसे नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि राज्य की कार्रवाई**

---

[1] (2008) 1 SCC 456

[2] (2010) 2 SCC 637

[3] (2008) 1 SCC 448

[4] WP(S) No.4522 of 2009, decided on 28.2.2011

को मनमानी, अतार्किक अथवा दुर्भावनापूर्ण सिद्ध न किया जाए। अतः राज्य, सद्भावना में कार्य करते हुए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 में निहित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, चयन सूची में सम्मिलित किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने का निर्णय ले सकता है ..."

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *राखी राय एवं अन्य (पूर्विक)* प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया है :

"24. किसी अभ्यर्थी का नाम केवल चयन सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से उसे नियुक्ति का कोई अजेय विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। पैनल में सम्मिलित किया जाना अधिकतम नियुक्ति हेतु पात्रता की एक शर्त मात्र है और यह स्वयं में चयन अथवा नियुक्ति का कोई सुनिश्चित अधिकार उत्पन्न नहीं करता। रिक्त पदों को विधि द्वारा निर्धारित नियमों तथा संवैधानिक आदेशों के अनुरूप ही भरा जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, एक बार अधिसूचित 13 रिक्त पदों को भर दिया गया, तो चयन प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी और इसके पश्चात् किसी अतिरिक्त नियुक्ति की कोई गुंजाइश शेष नहीं रहती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *शंकरसन दाश बनाम भारत[5] संघ* प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया है :

"7. यह कहना विधिसंगत नहीं है कि यदि नियुक्ति हेतु अनेक रिक्त पद अधिसूचित किए गए हों और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी योग्य पाए गए

[5] (1991) 3 SCC 47

2011:CGHC:7915

हों, तो मात्र इस आधार पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई सुनिश्चित अथवा अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः, ऐसा विज्ञापन केवल योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने हेतु आमंत्रण मात्र होता है और चयन हो जाने से भी उन्हें पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान न हो, राज्य सभी अथवा किसी भी रिक्त पद को भरने हेतु विधिक रूप से बाध्य नहीं है। तथापि, इसका यह आशय नहीं है कि राज्य मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है। रिक्त पदों को न भरने का निर्णय युक्तिसंगत कारणों पर आधारित एवं सद्भावना में लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि रिक्त पदों में से कोई भी पद भरा जाता है, तो राज्य भर्ती परीक्षा में प्रदर्शित अभ्यर्थियों की तुलनात्मक योग्यता का मान्य करने हेतु बाध्य होगा तथा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उक्त विधि-स्थिति का इस न्यायालय द्वारा निरंतर पालन किया गया है और स्टेट ऑफ़ हरियाणा बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा, नीलिमा शांगला बनाम स्टेट ऑफ़ हरियाणा अथवा जितेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के निर्णयों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं पाया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *आशा कौल (श्रीमती) एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य*[6] प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया है :

[6] (1993) 2 SCC 573

"8. यह सत्य है कि मात्र चयन सूची में सम्मिलित हो जाने से अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अजेय विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता (हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा, मणि सुब्रत जैन बनाम हरियाणा राज्य, केरल राज्य बनाम ए. लक्ष्मीकुट्टी)। तथापि, यह प्रकरण का केवल एक पक्ष है। दूसरा एवं महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह निष्पक्षता एवं न्यायसंगत ढंग से कार्य करे। संपूर्ण चयन प्रक्रिया को उपहास का विषय नहीं बनाया जा सकता। किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग को अनुरोध प्रेषित करने के पश्चात्, जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, साक्षात्कार संपन्न किया जाता है, चयन सूची तैयार कर सरकार को प्रेषित की जाती है—सरकार बिना किसी उचित एवं युक्तिसंगत कारण के, मौन रूप से अथवा मनमाने ढंग से, संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में, जब अभ्यर्थी अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हैं, तो सरकार नहीं कह सकती कि उन्हें नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *गुजरात स्टेट डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य*[7] प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है :

[7] 1997 Supp (2) SCC 591

2011:CGHC:7915

"8. अगले प्रश्न पर आते हुए, प्रथम यह विचारणीय है कि प्रतीक्षा सूची क्या है; क्या इसे भर्ती का ऐसा स्रोत माना जा सकता है जिसके माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सके; तथा अंततः इसकी वैधता अवधि क्या है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। सेवा मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची, योग्य एवं अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की वह सूची होती है, जिन्हें अंतिम चयनित अभ्यर्थी के नीचे, उनकी मेरिट के क्रम में स्थान दिया जाता है। प्रतीक्षा सूची का स्वरूप तथा इसके क्रियान्वयन की विधि नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। सामान्यतः, यह उसी चयन अथवा परीक्षा से संबद्ध होती है, जिसके लिए इसे तैयार किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि वर्ष 1990 के लिए 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है, तो वह केवल उन्हीं 10 पदों के संदर्भ में प्रभावी होगी, जिनके लिए चयन अथवा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसका कारण यह है कि चयन प्रक्रिया, एकल पद को छोड़कर, प्रायः न केवल विज्ञापन की तिथि पर विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जाती है, अपितु उन रिक्तियों को भी सम्मिलित करती है, जो सेवानिवृत्ति आदि कारणों से आगामी एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यह स्थिति विशेष रूप से तब अधिक प्रबल होती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2011:CGHC:7915

है, जब लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से चयन प्रक्रियाएँ संचालित की जाती हैं। ऐसी सूची, चाहे वह नियमों के अंतर्गत तैयार की गई हो अथवा अन्यथा, मुख्यतः इस उद्देश्य से बनाई जाती है कि यदि चयनित अभ्यर्थी किसी कारणवश कार्यभार ग्रहण न करें अथवा अगली चयन प्रक्रिया शीघ्र आयोजित न हो सके, तो कार्यालयीन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रतीक्षा सूची में मेरिट क्रम से सम्मिलित अभ्यर्थी को यह सीमित अधिकार होता है कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसे नियुक्ति दी जा सकती है। तथापि, एक बार जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं और तत्पश्चात्, इस्तीफा अथवा अन्य किसी कारण से, उस अवधि के भीतर कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं होती है, जिसके लिए नियमों के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची प्रभावी रहती है—या जहाँ कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ युक्तिसंगत अवधि के भीतर—तो प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को किसी भी भावी रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि उस रिक्ति हेतु पृथक चयन न किया गया हो। उपर्युक्त सीमित परिस्थिति को छोड़कर, प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का कोई निहित अधिकार नहीं होता, अथवा केवल उस स्थिति में हस्तक्षेप संभव है, जब नियुक्ति प्राधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करता है या बाहरी कारणों से चयन कर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्रदान करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2011:CGHC:7915

12. डायरेक्टर, एस.सी.टी.आई. *फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पूर्विक)* प्रकरण में, जिसका संदर्भ याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :

> **"11. वर्तमान प्रकरण में लागू विधि के संबंध में न तो कोई संदेह है और न ही कोई विवाद। मात्र इस आधार पर कि किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में सम्मिलित है, उसे नियुक्ति प्रदान करने का स्वतः कोई आधार नहीं बनता। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को इस संबंध में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, बशर्ते कि राज्य द्वारा सद्भावना में कार्य किया गया हो ..."**
>
> **"16. अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में कोई विधिक अधिकार नहीं होता, तथापि उच्चतर न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, सामान्यतः तब तक कोई रिट जारी करने का निर्देश नहीं देगा, जब तक कि नियोक्ता की ओर से दुर्भावना अथवा मनमानी के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सामग्री अथवा प्रमाण प्रस्तुत न किया गया हो। अतः प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके स्वयं के गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम अभिषेक शुक्ला एवं अन्य*[8] प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है :

[8] (2009) 5 SCC 368

2011:CGHC:7915

"17. अतः हमें आक्षेपित निर्णयों में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। तथापि, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि सामान्यतः ऐसे पैनल की वैधता अवधि एक वर्ष होती है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गिरधर कुमार दाधीच बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में चयन सूची को अपीलकर्ता द्वारा अगस्त, 2003 में ही अनुमोदित कर दिया गया था तथा उत्तरवादीगण द्वारा उक्त तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। हमारी राय में, इस प्रकार उक्त शर्त की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई प्रश्न अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कभी उठाया ही नहीं गया था। यदि ऐसा प्रश्न उठाया गया होता, तो उत्तरवादी उसका उत्तर प्रस्तुत कर सकते थे (देखें : अम्लान ज्योति बोरुआ बनाम असम राज्य)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत *नसीम अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* [9]प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में अपीलकर्ताओं को परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर नियुक्ति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात्, दिनांक 19.09.2003 के आदेश द्वारा यह निर्धारित किया गया कि केवल दिनांक 19.09.2001 के पश्चात् की गई नियुक्तियाँ ही तदर्थ रूप मानी जाएँगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि चूँकि सभी अपीलकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के भीतर नियुक्त किया गया

[9] 2011 AIR SCW 133

2011:CGHC:7915

था, अतः उन्हें तदर्थ रूप नियुक्ति नहीं माना जा सकता। तथापि, उक्त प्रकरण में प्रतीक्षा सूची की वैधता को नियंत्रित करने वाले नियम 12 में किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि :

> **"11. ... जब तक प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक नियम 12 के अंतर्गत नई चयन सूची तैयार नहीं की जा सकती थी तथा उत्तरवादीगण द्वारा नवीन पदों का विज्ञापन जारी करना और प्रतीक्षा सूची को तदर्थ घोषित कर निरस्त करना, नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल है।"**

वर्तमान प्रकरणों में, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। अतः *नसीम अहमद (पूर्विक)* का निर्णय वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न है और इस पर लागू नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह निर्विवाद है कि केवल इस आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि चयन सूची/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई सुनिश्चित विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। तथापि, वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि कला विषय में शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के पद पर किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई हो। इसके अतिरिक्त, यह भी तथ्यात्मक स्थिति है कि चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि फरवरी, 2010 में समाप्त हो चुकी थी। याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उत्तरवादीगण द्वारा लिया गया निर्णय मनमाना, अतार्किक अथवा दुर्भावनापूर्ण था। ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित किया जाना किसी अनुचित, अतार्किक अथवा दुर्भावनापूर्ण आधार पर किया गया था।

2011:CGHC:7915

16. उपर्युक्त कारणों के आलोक में, जब मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि फरवरी, 2010 में समाप्त हो चुकी है, तब याचिकाकर्ता को नियुक्त कर चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु कोई निर्देश जारी किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

17. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका ख़ारिज की जाती है।

18. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)